संख्या : 3276 /XXIV(7)/2013–42(1)/10

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी, नैनीताल।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक 06 दिसम्बर, 2013

विषय– प्रदेश के राजकीय तथा अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अन्य कार्यों में सुचिता लाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2725/XXIV(7)/2013–42(1)/2010 दिनांक 19 सितम्बर, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को सम्बन्धित जनपद के अशासकीय/शासकीय महाविद्यालयों के मॉनिटरिंग हेतु नामित किया गया है तथा जिलाधिकारियों के सहयोग हेतु नोडल अधिकारी भी नामित किये गये हैं। उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समस्त महाविद्यालयों में अनुशासन स्थापित किये जाने हेतु निम्नवत बिन्दुओं में उल्लिखित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये, वस्तुस्थिति से शासन को अवगत कराया जाय :–

(1) महाविद्यालयों में अवकाश के लिए पर्वतीय महाविद्यालयों तथा मैदानी महाविद्यालयों में कलेन्डर समान रूप से लागू किये जायें।

(2) पर्वतीय महाविद्यालयों में शीतावकाश की अवधि अधिक एवं मैदानी महाविद्यालयों में ग्रीष्मावकाश की अवधि अधिक रखी जाये, परन्तु कुल वार्षिक अवकाश समान रहे।

(3) सभी महाविद्यालय प्रत्येक वर्ष का कलेंडर वर्ष के प्रारम्भ में बनाकर निदेशालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

(4) यू0जी0सी0 के नियमानुसार प्रत्येक शिक्षक को प्रति सप्ताह 30 घंटे शिक्षण एवं अन्य कार्यों हेतु महाविद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है। अतः प्रत्येक शिक्षक को प्रतिदिन न्यूनतम पॉच घंटे महाविद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है।

(5) प्रतिदिन उपस्थिति दो बार (प्रारम्भ एवं अंतिम 30 मिनट में) ली जाय।

(6) छात्रों के पाठयकम पूरा करने हेतु शिक्षक अपना शिक्षण कार्यकम (Teaching Plan) बनायें।

(7) राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमीनार/कार्यशाला में भाग लेने हेतु प्रत्येक शिक्षक को एक वर्ष में अधिकतम 15 दिन का कार्य अवकाश स्वीकृत किया जाये। उक्त कार्यक्रमों में भाग लेने पर अपने विषय की नवीनतम जानकारी का लाभ छात्रों को भी उपलब्ध कराया जाय।

(8) औचक निरीक्षणों में जो शिक्षक/कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित पाये जायें, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही यथा उक्त दिवस की वेतन कटौती अथवा निलंबन हेतु नियमानुसार प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।

(9) महाविद्यालय के सम्पूर्ण क्रियाकलाप हेतु प्रधानाचार्य/प्रभारी प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे। प्रधानाचार्यों को मुख्यालय छोड़ने तथा अवकाश की स्वीकृति निदेशक, उच्च शिक्षा से स्वीकृत कराते हुये सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(10) समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि अवकाश पंजिका, स्टॉक पंजिका, कंटिजैन्सी पंजिका, कॉशन मनी पंजिका इत्यादि के साथ-साथ गेम फण्ड/परिचय पत्र फण्ड इत्यादि को अद्यतन/सुव्यवस्थित रूप में रखा जाय ताकि औचक निरीक्षण के समय इनका अवलोकन किया जा सके।

(11) समस्त प्रधानाचार्यों को नैक (NAAC) से उच्च ग्रेड प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत प्रयास करना चाहिए तथा इसके लिए अन्य कार्यों के साथ-साथ अध्यापकों को ऐसे प्रशिक्षणों/शोध कार्यों के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए जो नैक (NAAC) के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण हो।

(12) यद्यपि शासनादेश संख्या 2725 दिनांक 19 सितम्बर, 2013 द्वारा नामित नोडल अधिकारियों द्वारा महाविद्यालयों में औचक निरीक्षण किया जा रहा है तथापि जिलाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि समय-समय पर स्वयं अथवा अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी के माध्यम से अपने जनपद स्थित महाविद्यालयों में औचक निरीक्षण कराते हुये, आख्या निदेशालय/शासन को प्रेषित की जाय।

(13) निरीक्षण के समय सम्बन्धित जनपद के अशासकीय महाविद्यालयों में ऑडिट की स्थिति का मूल्यांकन करते हुये, तदनुसार संस्तुति प्रेषित की जाय।

(14) महाविद्यालयों में पठन-पाठन का माहौल बनाने हेतु यह आवश्यक है कि महाविद्यालयों के परिसर/छात्रावासों में छात्र-छात्राओं का प्रवेश परिचय पत्र की जांच के उपरान्त ही किया जाय, यदि किसी कारणवश अभिभावक या अन्य किसी व्यक्ति का प्रवेश अति आवश्यक हो तो मुख्यद्वार पर प्रवेशन पंजिका (Book in Out) में यथा स्थान तिथि एवं समय तथा प्रयोजन अंकित कराने के उपरान्त ही प्रवेश दिया जाय।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 3276/XXIV(7)/2013-42(1)/10 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरखण्ड शासन।
2. उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
3. समस्त प्राचार्य, राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
4. समस्त नोडल अधिकारी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधिका झा)
अपर सचिव।